राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–26/04/पार्ट/ 5471 दिनांक 7/5/2008

जिला कलेक्टर (भू.अ.),
जालौर ।

विषय :– जमाबन्दियों की चैकलिस्टों के निस्तारण बाबत ।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक 6890 दिनांक 29.11.2007 ।

महोदय,

विषयान्तर्गत कम्प्यूटर के माध्यम से जमाबन्दी चौसाला की चैक लिस्ट प्रतिवर्ष एक चौथाई गांवों की तैयार की जाती है । जिनके प्रिन्ट पटवारियों व भू–अभिलेख निरीक्षकों से जाँच कराये जाने के पश्चात अन्तिम प्रिन्ट हेतु संशोधनों को कम्प्यूटर में फीड़ किया जाता है तथा संशोधन के पश्चात अन्तिम प्रिन्ट (परत सरकार एवं परत पटवार) निकाले जाकर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी का अन्तिम प्रमाणिकरण पी–28 में किया जाता है । इस प्रकार पूर्व में कम्प्यूटर से निकाली गई चैक लिस्ट संशोधन के उपरान्त अनुपयोगी हो जाती है ।

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली, 1957 के नियम 153 से 165 तक परत सरकार एवं परत पटवार जमाबन्दी के निस्तारण की व्यवस्था है किन्तु चैकलिस्ट के प्रिन्टस की व्यवस्था नहीं है । चूंकि चैक लिस्ट जमाबन्दी को अन्तिम रूप देने के लिये अन्तरिम कार्यवाही है व यह भू–अभिलेखों किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं है साथ ही इससे प्रतिलिपि भी जारी नहीं की जा सकती है । अतः निर्देशानुसार आपके जिले के रेकॉर्ड रूम में रखी चैक लिस्टों को फाडकर रद्दी के रूप में नीलामी की कार्यवाही की जावें ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः सम/ 5472-5504 दिनांक 7/5/2008
प्रतिलिपि :–

1 जिला कलेक्टर (भू.अ.), समस्त राजस्थान को उक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित है ।

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

LRC SS-3(1)164